IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

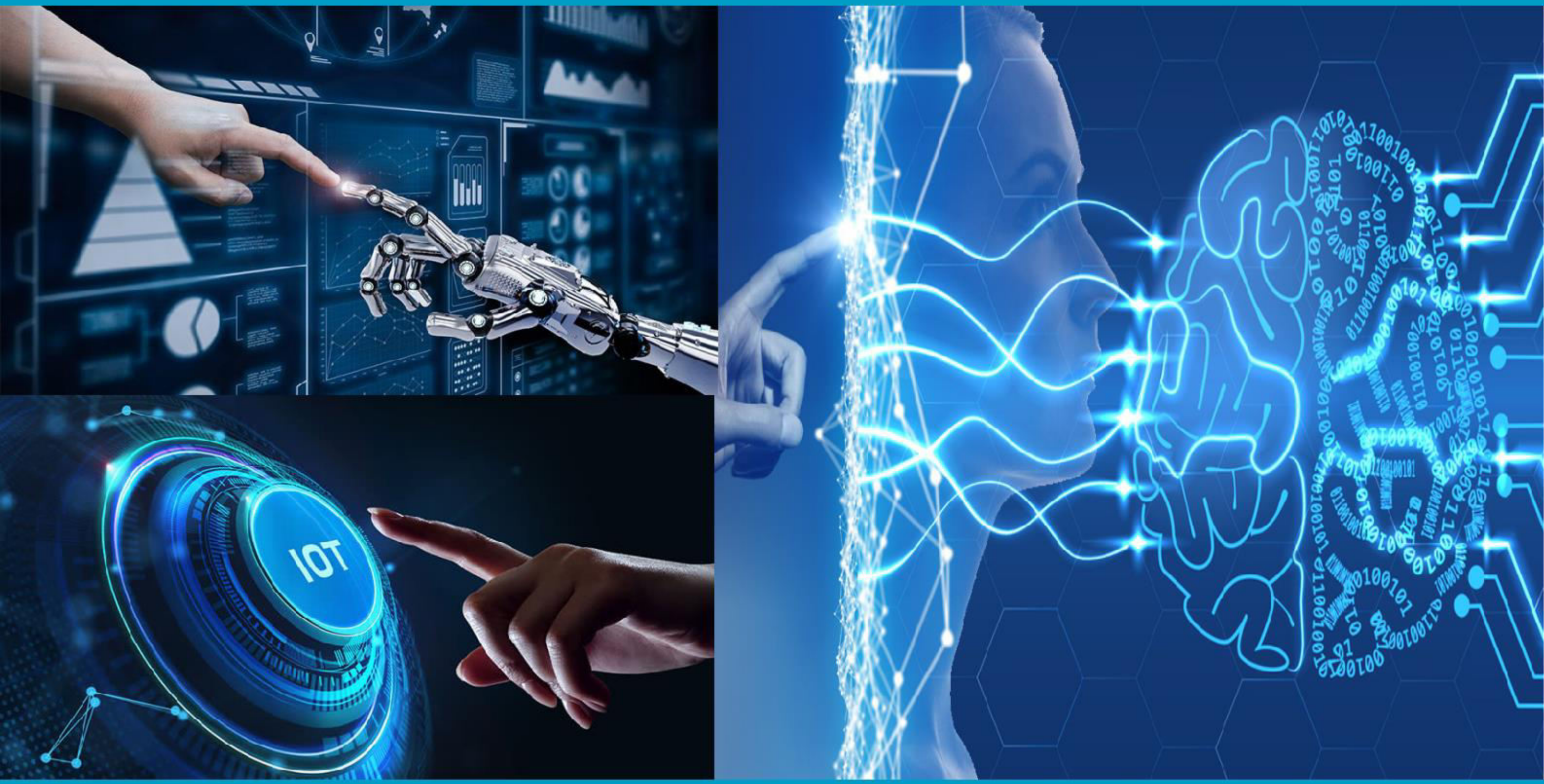

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 1, January 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

+91 99405 72462 +9163819 07438 ijmrsetm@gmail.com www.ijmrsetm.com

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

ग्रामीण विकास में वित्तीय संस्थाओं का योगदान राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में

Dr. Ramesh Chand Meena

ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF EAFM, BBD GOVT. COLLEGE, CHIMANPURA, SHAHPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

सार: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि (RIDF) के तहत कुल राशि 1,974.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.

I. परिचय

1. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं
स्वीकृत राशि का मुख्य भाग, 930.44 करोड़ रुपये, तीन महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। ये परियोजनाएं अजमेर, जालोर, और कोटा जिलों में लागू की जाएंगी, जिसका उद्देश्य 2,500 गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं को साफ और पियूषी जल प्रदान करना है। इन पहलों से लगभग 2.87 लाख घरेलूओं को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, जो लक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच को बहुत हद तक सुधारेगा।

2. ग्रामीण सड़कों का सुधार
नाबार्ड ने 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। ये सड़कें मुख्य रूप से राज्य के रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों में विकसित की जाएंगी। सुधारी गई सड़क नेटवर्क से उम्मीद है कि 12 जिलों में फैले 1,229 गांवों में सामान्यतया सामानों और लोगों के आसान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

3. पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
नाबार्ड ने पशु चिकित्सा अस्पतालों के 104 और उप-केंद्रों के 431 के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ये स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के सभी जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिससे पशुपालकों और किसानों को गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाओं का उपयोग हो सके। यह कदम संभावित है कि पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और ग्रामीण समुदायों के सामान्य कल्याण में योगदान करेगा।

4. सूक्ष्म सिंचाई सहायता
नाबार्ड राजस्थान सरकार के साथ सहयोग कर रहा है ताकि 4.28 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को माइक्रो-सिंचाई के तहत लाया जा सके। इस प्रयास को माइक्रो सिंचाई निधि से 740 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। आधुनिक सिंचाई तकनीकों का अवलोकन करके किसान पानी का उपयोग अनुकूलित कर सकते हैं और कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

5. नहरों के लिए बुनियादी ढांचा विकास सहायता
नाबार्ड द्वारा समर्थित एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे विकास परियोजना है, जिसमें कोटा और बूंदी जिलों में 450 किलोमीटर धरतीय नालियों की लाइनिंग की जा रही है। यह प्रयास नाबार्ड बुनियादी ढांचे विकास सहायता के तहत 623.38 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता से संभव हुआ है। इस पहल का उद्देश्य जल संसाधनों को संरक्षित करना और सिंचाई के उद्देश्य से प्रभावी जल वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे क्षेत्र में किसानों और कृषि गतिविधियों को लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के बारे में
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) भारत में संभाव्य और उच्चतम वित्तीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है जो भारत भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एपेक्स सहकारी बैंकों के कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नाबार्ड की मुख्य जिम्मेदारियों में कृषि और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक प्रयासों के लिए क्रेडिट सुविधाओं के नियमन, योजना निर्माण और कार्यान्वयन शामिल होते हैं.

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

II. विचार-विमर्श

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने 24 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के असर की वजह से वर्ष 2020-21 अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के लिहाज से स्टैंडर्ड वर्ष नहीं था। इस नोट में 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों से की गई है (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर के संदर्भ में)। अनुलग्नक 3 में 2020-21 के संशोधित अनुमानों और 2021-22 के बजट अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

बजट के मुख्य अंश

- 2021-22 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा मूल्यों पर) 11,98,348 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें 2019-20 की तुलना में 10% की वार्षिक वृद्धि है और यह 2020-21 में जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (9,57,912 करोड़ रुपए) से 25% अधिक है। 2020-21 में जीएसडीपी के 4% संकुचित होने का अनुमान है। इसकी तुलना में 2020-21 में भारत की नॉमिनल जीडीपी के 13% संकुचित होने की (2019-20 की तुलना में) और 2021-22 में 14.4% बढ़ने का अनुमान है (2020-21 की तुलना में)।
- 2021-22 के लिए कुल व्यय 2,50,747 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें 2019-20 के कुल व्यय की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि है। संशोधित अनुमानों के असार, 2020-21 में कुल व्यय बजट अनुमान से 10% अधिक अनुमानित है।
- 2021-22 के लिए कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) 1,85,505 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जिसमें 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में कुल प्राप्तियां (उधारियों के बिना) बजट अनुमान से 25,796 करोड़ रुपए कम रहने का अनुमान है (15% की गिरावट)।
- 2021-22 के लिए राजस्व घाटा 23,750 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जोकि जीएसडीपी का 1.98% है। 2020-21 में संशोधित आंकड़ों के अनुसार 41,722 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है (जीएसडीपी का 4.36%), जोकि बजट अनुमान से तीन गुना ज्यादा है (12,346 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 1.09%)। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 47,653 करोड़ रुपए है (जीएसडीपी का 3.98%)। 2020-21 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटे के जीएसडीपी के 6.12% होने की उम्मीद है जो 2.99% के बजट अनुमान से अधिक है।
- नीतिगत विशिष्टताएं
- कर प्रस्ताव: कर राहत निम्नलिखित प्रकार से प्रदान की जाएगी: (i) ई-वाहनों की खरीद पर एसजीएसटी की अदायगी, (ii) 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स की स्टाम्प ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% करना, (iii) मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क और किसानों के लिए आढ़त (ब्रोकरेज) शुल्क में कमी, (iv) सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 के अंतर्गत गैर लाभकारी संस्थानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी, मोटर वाहन पर टैक्स, एसजीएसटी में छूट।
- स्वास्थ्य: प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल को अधिकार बनाने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा। आठ मौजूदा नर्सिंग कॉलेजों के अतिरिक्त 25 नर्सिंग कॉलेज और बनाए जाएंगे।
- कृषि: अगले साल से कृषि बिल अलग से पेश किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को लागू किया जाएगा ताकि किसानों को बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म पोषण किट और कंपोस्ट यूनिट (अन्य उपायों के साथ) दी जा सके।
- उद्योग: (i) नई एमएसएमई योजना को जारी किया जाएगा, (ii) मारवाड़ में 750 करोड़ रुपए के निवेश से नया औद्योगिक कलस्टर बनाया जाएगा, और (iii) 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रेटर भिवाड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था ▪ जीएसडीपी: 2020-21 में राजस्थान की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) में 6.6% के संकुचन का अनुमान है। इस अवधि में देश की जीडीपी के 7.7% संकुचित होने का अनुमान है। ▪ क्षेत्र: 2020-21 में अर्थव्यवस्था में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने क्रमशः 29%, 28% और 42% का योगदान दिया। 2020-21 में सिर्फ कृषि में सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है। ▪ बेरोजगारी: पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे, 2018-19 के अनुसार राज्य की बेरोजगारी दर 5.7% थी जो देश की औसत बेरोजगारी दर (5.8%) के बराबर ही है।	रेखाचित्र 1: राजस्थान में स्थिर मूल्यों पर (2011-12) जीएसडीपी और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि Sources: Rajasthan Economic Review 2020-21; PRS.

2021-22 के लिए बजट अनुमान

- 2021-22 में 2,50,747 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। इसमें 2019-20 की तुलना में 8% की वार्षिक वृद्धि है। इस व्यय को 1,85,505 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) और 61,904 करोड़ रुपए की उधारियों के जरिए पूरा किया जाना प्रस्तावित है। 2019-20 की तुलना में 2021-22 में कुल प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) में 9% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।
- 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कुल व्यय के बजटीय अनुमानों की तुलना में 10% बढ़ने का अनुमान है। 2020-21 (संशोधित अनुमानों के अनुसार) में प्राप्तियों (उधारियों के अतिरिक्त) के बजट अनुमान से 15% कम होने का अनुमान है जबकि उधारियों के 102% अधिक होने का अनुमान है।
- 2021-22 के लिए राज्य ने 23,750 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है (जीएसडीपी का 1.98%)। 2020-21 में राजस्व घाटा संशोधित चरण में 41,722 करोड़ रुपए अनुमानित है (जीएसडीपी का 4.36%) जोकि 12,346 करोड़ रुपए के बजट अनुमान (जीएसडीपी का 1.09%) से अधिक है। 2021-22 में 47,653 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है (जीएसडीपी का 3.98%)। 2020-21 में राजकोषीय घाटा संशोधित चरण में जीएसडीपी का 6.12% अनुमानित है जबकि बजटीय चरण में यह जीएसडीपी का 2.99% अनुमानित था।

तालिका 1: बजट 2021-22 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
कुल व्यय	2,13,491	2,25,731	2,48,063	10%	2,50,747	8%
क. प्राप्तियां (उधारियों के बिना)	1,55,804	1,74,187	1,48,391	-15%	1,85,505	9%
ख. उधारियां	46,174	45,281	91,262	102%	61,904	16%
कुल प्राप्तियां (ए+बी)	2,01,978	2,19,468	2,39,653	9%	2,47,409	11%

राजस्व घाटा	36,371	12,346	41,722	238%	23,750	-19%
जीएसडीपी का %	3.64%	1.09%	4.36%		1.98%	
राजकोषीय घाटा	37,654	33,922	58,608	73%	47,653	12%
जीएसडीपी का %	3.77%	2.99%	6.12%		3.98%	
प्राथमिक घाटा	14,011	8,429	33,177	294%	19,292	17%
जीएसडीपी का %	1.40%	0.74%	3.46%		1.61%	

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। उधारियों के बिना प्राप्तियों में आपात निधि के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

2021-22 में व्यय

- 2021-22 में पूंजीगत व्यय 42,667 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 के वास्तविक व्यय की तुलना में 7% की वार्षिक वृद्धि है। पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय शामिल हैं, जोकि राज्य की परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे (i) पूंजीगत परिव्यय यानी ऐसा व्यय जोकि परिसंपत्तियों का सृजन (जैसे पुल और अस्पताल) करता है और (ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान और ऋण देना।
- 2021-22 के लिए 2,08,080 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय प्रस्तावित है जिसमें 2019-20 की तुलना में 9% की वृद्धि है। इसमें वेतन का भुगतान, ब्याज और सब्सिडी शामिल हैं। 2020-21 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 83% अनुमानित है, जबकि पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के 10% से भी कम है।

तालिका 2: बजट 2021-22 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
पूंजीगत व्यय	37,006	39,981	58,361	46%	42,667	7%
जिसमें पूंजीगत परिव्यय	14,718	21,619	16,799	-22%	24,216	28%
राजस्व व्यय	1,76,485	1,85,750	1,89,702	2%	2,08,080	9%
कुल व्यय	2,13,491	2,25,731	2,48,063	10%	2,50,747	8%
क. ऋण पुनर्भुगतान	20,033	17,623	41,063	133%	17,589	-6%
ख. ब्याज भुगतान	23,643	25,494	25,431	0%	28,360	10%

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
ऋण चुकौती (क+ख)	43,676	43,117	66,494	54.2%	45,949	3%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। पूंजीगत परिव्यय का अर्थ ऐसा व्यय है जिससे परिसंपत्तियों का सृजन होता है।

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यय

2021-22 के दौरान राजस्थान के बजटीय व्यय का 68% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान और अन्य राज्यों द्वारा कितना व्यय किया जाता है, इसकी तुलना अनुलग्नक 1 में प्रस्तुत है।

तालिका 3: राजस्थान बजट 2021-22 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2020-21 बअ	2020-21 संअ	2021-22 बअ	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)	बजटीय प्रावधान 2021-22
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	40,018	38,020	44,309	14%	• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 9,821 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। • मिड डे कार्यक्रम के लिए 1,062 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
बिजली	18,736	15,065	19,449	-12%	• बिजली पर टैरिफ सबसिडी के लिए 16,237 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,700	13,394	16,269	16%	• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,687 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। • सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1,463 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
ग्रामीण विकास	13,329	15,426	15,920	11%	• प्रधानमंत्री किसान आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 3,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। • मनरेगा के लिए 2,539 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
समाज कल्याण एवं पोषण	11,231	15,044	15,563	11%	• मुख्यमंत्री सम्मान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 5,410 करोड़ रुपए दिए गए हैं। • विधवा पेंशन योजना के लिए 2,283 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	11,441	13,534	11,810	6%	• कृषि ऋण माफी योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन	8,794	7,620	10,024	23%	• ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 5,182 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। • शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 2,479 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
शहरी विकास	7,272	9,391	8,674	32%	• स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 932 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सड़क और पुल	6,653	4,749	7,787	21%	• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
पुलिस	7,005	6,683	7,384	8%	• जिला पुलिस के लिए 5,052 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का %	68%	67%	68%		

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज से संबंधित व्यय शामिल होते हैं। अगर बजट में प्रतिबद्ध व्यय की मद के लिए बड़ा हिस्सा आबंटित किया जाता है तो इससे राज्य पूंजीगत निवेश जैसी प्राथमिकताओं पर कम खर्च कर पाता है।

2021-22 में राजस्थान द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 1,14,126 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 10% की वार्षिक वृद्धि है। यह 2021-22 में राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 62% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 33%), पेंशन (राजस्व प्राप्तियों का 14%) और ब्याज भुगतान (राजस्व प्राप्तियों का 15%) पर व्यय शामिल हैं। 2020-21 में बजट से संशोधित चरण में प्रतिबद्ध व्यय में 3% की मामूली गिरावट हुई। राज्य औसतन, अपनी 50% राजस्व प्राप्तियों को प्रतिबद्ध व्यय की मदों में खर्च करते हैं (2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार)।

तालिका 4: प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
वेतन	49,066	55,938	53,618	-4%	60,293	11%
पेंशन	20,761	23,404	22,989	-2%	25,473	11%

ब्याज भुगतान	23,643	25,494	25,431	0%	28,360	10%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	93,470	1,04,836	1,02,038	-3%	1,14,126	10%

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

2021-22 में प्राप्तियां

- 2021-22 में 1,84,330 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 15% की वार्षिक वृद्धि है। इनमें से 1,07,748 करोड़ रुपए (58%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 76,582 करोड़ रुपए (42%) केंद्रीय हस्तांतरण के रूप में होंगे। यह राशि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से (राजस्व प्राप्तियों का 22%) और सहायतानुदान (राजस्व प्राप्तियों का 20%) से मिलेगी।
- हस्तांतरण: 2021-22 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में 2019-20 की तुलना में 5% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। हालांकि 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से में बजटीय चरण की तुलना में 30% की गिरावट का अनुमान है। केंद्रीय बजट में राज्यों के हस्तांतरण में 30% की कटौती इसका कारण हो सकती है, जोकि बजटीय चरण में 7,84,181 करोड़ रुपए से कम होकर संशोधित चरण में 5,49,959 करोड़ रुपए हो गया है।
- राज्य के स्वयं कर राजस्व: 2020-21 में राज्य को 90,050 करोड़ रुपए के कुल स्वयं कर राजस्व का अनुमान है जिसमें 2019-20 के वास्तविक कर राजस्व की तुलना में 23% की वार्षिक वृद्धि है। यह जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक है (10%)। स्वयं कर जीएसडीपी अनुपात 2019-20 में 5.9% से बढ़कर 2020-21 में 7.5% होने का अनुमान है।

तालिका 5 : राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)
राज्य के स्वयं कर	77,030	68,885	-11%	90,050	23%
राज्य के स्वयं गैर कर	19,596	15,724	-20%	17,698	6%
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी	46,886	32,885	-30%	40,107	5%
केंद्र से सहायतानुदान	29,893	30,486	2%	36,475	12%
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,73,405	1,47,980	-15%	1,84,330	15%
उधारियां	45,281	91,262	102%	61,904	16%
अन्य प्राप्तियां	782	411	-47%	1,175	-73%
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	46,063	91,673	99%	63,079	1%
कुल प्राप्तियां	2,19,468	2,39,653	9%	2,47,409	11%

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। पूंजीगत प्राप्तियों में लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों (2021-22) में आपात निधि के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

जीएसटी क्षतिपूर्ति

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 सभी राज्यों को जीएसटी के कारण होने वाले नुकसान की पांच वर्षों तक (2022 तक) भरपाई करने की गारंटी देता है। एक्ट राज्यों को उनके जीएसटी राजस्व में 14% की वार्षिक वृद्धि की गारंटी देता है, और ऐसा न होने पर राज्यों को इस कमी को दूर करने के लिए मुआवजा अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस से दिए जाते हैं। चूंकि 2020-21 में राज्यों की क्षतिपूर्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए सेस कलेक्शन पर्याप्त नहीं था, उनकी जरूरत के एक हिस्से को केंद्र के लोन्स के जरिए पूरा किया जाएगा (जोकि भविष्य के सेस कलेक्शन से चुकाया जाएगा)। 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्थान को जीएसटी क्षतिपूर्ति (अनुदान+लोन) के रूप में 9,404 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जोकि 2019-20 (4,440 करोड़ रुपए) की तुलना में 112% अधिक है। 2021-22 में राज्य को 7,204 करोड़ रुपए के जीएसटी क्षतिपूर्ति लोन की उम्मीद है, लेकिन जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान का कोई अनुमान नहीं है।

- 2021-22 में एसजीएसटी 37,663 करोड़ रुपए अनुमानित है जोकि राज्य के स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत (42%) है। 2019-20 में वास्तविक एसजीएसटी राजस्व की तुलना में इसमें 31% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में एसजीएसटी के बजट अनुमान से 15% कम होने का अनुमान है।
- 2021-22 में सेल्स टैक्स और वैट से 22,800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें 2019-20 की तुलना में 20% की वार्षिक वृद्धि है। 2020-21 में सेल्स टैक्स और वैट कलेक्शन बजट अनुमान से 9% कम होने का अनुमान है।
- 2021-22 में राज्य को एक्साइज ड्यूटी से 13,250 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है जिसमें 2019-20 की तुलना में 18% की वार्षिक वृद्धि है।

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)	2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का %
राज्य का स्वयं कर राजस्व	77,029	68,885	-11%	90,049	23%	49%
राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)	28,250	24,000	-15%	37,663	31%	20%
राज्य का एक्साइज	21,000	19,100	-9%	22,800	20%	12%
सेल्स टैक्स/वैट	12,500	11,500	-8%	13,250	18%	7%
वाहन टैक्स	6,000	5,200	-13%	6,500	15%	4%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,600	5,550	-1%	6,100	20%	3%

मद	2020-21 बजटीय	2020-21 संशोधित	बअ 2020-21 से संअ 2020-21 में परिवर्तन का %	2021-22 बजटीय	वार्षिक परिवर्तन (2019-20 से बअ 2021-22)	2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का %
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	2,850	2,800	-2%	2,900	13%	2%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	4,800	4,800	0%	-	-100%	-
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	-	4,604	-	7,204	-	-

Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

2021-22 में घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य
राजस्थान के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

राजस्व संतुलन: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा, और न ही देनदारियों को कम करेगा। 2021-22 में राजस्थान ने 23,750 करोड़ रुपए (या जीएसडीपी का 1.98%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 में 9,878 करोड़ रुपए के, तथा 2022-23 में 4,862 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है और इसके बाद राजस्व घाटा अनुदान नहीं दिया जाएगा।

राजकोषीय घाटा: कुल प्राप्तियों से कुल व्यय अधिक होने को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार उधारियों के जरिए इस अंतर को कम करने का प्रयास करती है जिससे सरकार पर कुल देनदारियां बढ़ती हैं। 2021-22 में 47,653 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है (जीएसडीपी का 3.98%)। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 6.12% होने की उम्मीद है जोकि 2.99% के बजट अनुमान से अधिक है।

2020-21 में उधारियों पर निर्भरता बढ़ी: कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने 2020-21 में सभी राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को अधिकतम 5% बढ़ाने की अनुमति दी है। सभी राज्य अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 4% कर सकते हैं। शेष 1% के लिए शर्त यह है कि राज्य कुछ सुधारों को लागू करेंगे (प्रत्येक सुधार के लिए 0.25%)। ये सुधार हैं (i) एक देश एक राशन कार्ड, (ii) ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, (iii) शहरी स्थानीय निकाय/यूटिलिटी और (iv) बिजली वितरण। फरवरी, 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान पहले तीन सुधारों को पूरी तरह और चौथे सुधार को आंशिक रूप से लागू करने के लिए 8,739 करोड़ रुपए तक का उधार लेने के योग्य है।

बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। 2021-22 में राज्य की बकाया देनदारियों के जीएसडीपी के 38.2% के बराबर होने का अनुमान है। 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 42.7% होना अनुमानित है जोकि 2019-20 में दर्ज की गई देनदारियों से 35.3% से अधिक है।

तालिका 7: राजस्थान के लिए घाटे के लिए बजटीय लक्ष्य (जीएसडीपी के % के रूप में)

वर्ष	राजस्व संतुलन	राजकोषीय संतुलन	बकाया देनदारियां
2018-19 (वास्तविक)	-3.1%	-3.7%	33.0%
2019-20 (वास्तविक)	-3.6%	-3.8%	35.3%

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

2020-21 (संशोधित)	-4.4%	-6.1%	42.7%
2021-22 (बजटीय)	-2.0%	-4.0%	38.2%
2022-23		-3.5%	37.9%
2023-24		-2.99%	37.1%

नोट: बकाया ऋण में आंतरिक ऋण के अंतर्गत बकाया ऋण, केंद्र से लोन और अग्रिम, छोटी बचत, प्रॉविडेंट फंड, और इंश्योरेंस और पेंशन फंड शामिल हैं। नेगेटिव वैल्यू घाटे और पॉजिटिव वैल्यू अधिशेष को दर्शाती है। Sources: Rajasthan Budget Documents 2021-22; PRS.

अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना
निम्नलिखित तालिकाओं में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में राजस्थान के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 30 राज्यों (राजस्थान सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2020-21 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है।[1]

- शिक्षा: 2021-22 में राजस्थान ने शिक्षा के लिए बजट का 19.1% हिस्सा आबंटित किया है। अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर जितनी औसत राशि का आबंटन किया गया (15.8%) उसकी तुलना में राजस्थान का आबंटन अधिक है (2020-21 बजट अनुमान)।
- स्वास्थ्य: राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 7% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (5.5%) से यह ज्यादा है।
- कृषि: राज्य ने 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए अपने बजट का 5.1% हिस्सा आबंटित किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटनों (6.3%) से कम है।
- ग्रामीण विकास: 2021-22 में राजस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए 5.4% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों के औसत (6.1%) से कम है।
- बिजली: 2021-22 में राजस्थान ने बिजली क्षेत्र के लिए 8.4% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटन (4.3%) का दोगुना है।
- सड़क और पुल: 2021-22 में राजस्थान ने सड़कों और पुलों के लिए 3.4% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.3%) से कम है।

नोट: 2019-20, 2020-21 (बअ), 2020-21 (संअ), और 2021-22 (बअ) के आंकड़े राजस्थान के हैं।
अनुलग्नक 2: 2021-26 में 15वें वित्त आयोग के सुझाव
15वें वित्त आयोग ने 1 फरवरी, 2021 को 2021-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की। 2021-26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का 41% हिस्सा सुझाया गया है जोकि 2020-21 (जिसे 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में सुझाया था) के लगभग समान ही है। 14वें वित्त आयोग (2015-20 की अवधि) ने 42% का सुझाव दिया था और इसमें से 1% की कटौती इसलिए की गई है ताकि नए गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से धनराशि दी जा सके। 15वें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के हिस्से को निर्धारित करने के लिए अलग मानदंड प्रस्तावित किए हैं (जोकि 14वें वित्त आयोग से अलग हैं)। 2021-26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर राजस्थान को केंद्रीय करों के डिवाइजिबल पूल से 2.47% हिस्सा मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि 2021-22 में केंद्र के कर राजस्व में प्रति 100 रुपए पर राजस्थान को 2.47 रुपए मिलेंगे। 14वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए 2.31 रुपए का सुझाव दिया था और यह उससे ज्यादा है।

III. परिणाम

प्रमुख बिंदु

- इंदिरा गांधी पंचायती राजसंस्था में हुए इस मोटू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल एवं स्थिर की ओर से स्त्रीनिधि के एमडी जी. विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किये।
- राज्य में 'राजस्थान महिला निधि' की स्थापना अखिल राज्य में पूर्णकालिक स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था के रूप में राजीविका के माध्यम से की जा रही है। राजीविका के सिंगल गैलन फेडरेशन के सदस्य होंगे।
- राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा एवं भारत सरकार से 110 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं।

- इस निधि के संचालन के लिए चरणबद्ध तरीके से राजीविका द्वारा 561 प्रस्तावित संकुल रीटियर्स संघ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) से 10 लाख रुपए प्रति संकुल रीटियर्स संघ शेयर कैपिटल के रूप में योगदान दिया जा रहा है।
- महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपये तक के ऋण 48 घंटे में एवं इससे अधिक राशि के ऋण 15 दिनों की समय सीमा में देय हो सकते हैं।
- इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी। बैंकों में भारी भरकम ऋण आवेदनों की संख्या में भी कमी आएगी।
- राजस्थान महिला निधि प्राथमिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगी। इस निधि का संचालन वर्कजी की महिलाओं के द्वारा वर्कजी की महिलाओं के लिए किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की स्थापना किये जाने के संबंध में घोषणा की थी।

राजस्थान के वित्त मंत्री श्री अशोक गहलौत ने 10 फरवरी, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया।
बजट के मुख्य अंश

- 2023-24 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा कीमतों पर) 15.7 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2022-23 के मुकाबले 11.5% की वृद्धि है।
- 2023-24 में व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 2,97,091 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 7.1% अधिक है। इसके अलावा राज्य द्वारा 93,766 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया जाएगा।
- 2023-24 के लिए प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) 2,34,319 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 8.4% की वृद्धि है। 2022-23 में बजट अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) में मामूली 0.4% की वृद्धि का अनुमान है।
- 2023-24 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6% (24,896 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2.3%) से कम है। 2022-23 में राजस्व घाटा 2.3% रहने की उम्मीद है जो बजट अनुमान (जीएसडीपी का 1.8%) से अधिक है।
- 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.0% (62,772 करोड़ रुपए) पर लक्षित है। 2022-23 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.3% रहने की उम्मीद है जो बजट अनुमान (4.4%) से थोड़ा कम है।
- नीतिगत विशिष्टताएं
- विधायी प्रस्ताव: गिग वर्कर्स कल्याण कानून को पेश किया जाएगा जिसके तहत गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड और गिग वर्कर्स कल्याण और विकास फंड बनाया जाएगा। इस फंड के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- बिजली: मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती थी। इसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है।
- समाज कल्याण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त राशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट (इसमें चावल, चीनी, तेल शामिल हैं) दिया जाएगा।
- शिक्षा एवं कौशल विकास: एक युवा नीति तैयार की जाएगी जिसके तहत शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार प्रदान करने के लिए युवा विकास और कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा।
- 2023-24 के लिए बजट अनुमान
- 2023-24 में 2,97,091 करोड़ रुपए के कुल व्यय (ऋण अदायगी को छोड़कर) का लक्ष्य रखा गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.1% अधिक है। इस व्यय को 2,34,319 करोड़ रुपए की प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) और 54,589 करोड़ रुपए की शुद्ध उधारी के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए कुल प्राप्तियों (उधारियों को छोड़कर) में 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8.4% की वृद्धि की उम्मीद है।
- 2023-24 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6% (24,896 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 2.3%) से कम है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4% (62,772 करोड़ रुपए) पर लक्षित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 4.3%) से कम है। 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 3.5% (बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए 0.5% सहित) राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है।
- 2022-23 में राजकोषीय घाटा निरपेक्ष रूप से बजट अनुमानों से अधिक है। हालांकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, यह बजट अनुमानों से संशोधित अनुमानों में जीएसडीपी में 6% की वृद्धि के कारण लगभग 0.1 प्रतिशत अंक कम है। 2022-23 में, जबकि व्यय में 2022-23 के बजट अनुमानों की तुलना में 1.5% की वृद्धि देखी गई है, प्राप्तियों में बजट अनुमानों की तुलना में जीएसडीपी के 0.4% की मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |
| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

तालिका 1: बजट 2023-24 के मुख्य आंकड़े (करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %
कुल व्यय	2,90,691	3,46,183	3,82,247	10.4%	3,90,856	2.3%
(-) ऋण का पुनर्भुगतान	56,128	72,715	1,04,810	22.7%	93,766	-1.5%
शुद्ध व्यय (E)	2,34,563	2,73,468	2,77,436	1.5%	2,97,091	7.1%
कुल प्राप्तियां	2,87,688	3,38,075	3,66,858	8.5%	3,82,674	4.3%
(-) उधारियां	1,01,363	1,22,819	1,50,686	22.7%	1,48,355	-1.5%
शुद्ध प्राप्तियां (R)	1,86,325	2,15,256	2,16,173	0.4%	2,34,319	8.4%
राजकोषीय घाटा (E-R)	48,238	58,212	61,264	5.2%	62,772	2.5%
जीएसडीपी का %	4.0%	4.4%	4.3%		4.0%	
राजस्व घाटा	-25,870	-23,489	-32,310	37.6%	-24,896	-22.9%
जीएसडीपी का %	-2.1%	-1.8%	-2.3%		-1.6%	
प्राथमिक घाटा	20,137	29,373	30,530	3.9%	30,378	-0.5%
जीएसडीपी का %	1.7%	2.2%	2.2%		1.9%	

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।
स्रोत: राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स 2023-24; पीआरएस।

2023-24 में व्यय

- 2023-24 के लिए राजस्व व्यय 2,58,884 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 4% अधिक है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सबसिडी पर खर्च शामिल है।

- 2023-24 के लिए पूंजी परिव्यय 38,061 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 31% अधिक है। पूंजी परिव्यय परिसंपत्ति सृजन पर होने वाले व्यय को दर्शाता है।
- 2023-24 में राज्य के ऋण और अग्रिम 146 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जिसमें बजट अनुमानों की तुलना में 53 करोड़ रुपए की कमी (27% की कमी)।

तालिका 2: बजट 2023-24 में व्यय (करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %
राजस्व व्यय	2,09,790	2,38,466	2,48,097	4%	2,58,884	4%
पूंजीगत परिव्यय	24,152	34,809	29,141	-16%	38,061	31%
राज्यों द्वारा दिए गए ऋण	621	193	198	3%	146	-27%
शुद्ध व्यय	2,34,563	2,73,468	2,77,436	1%	2,97,091	7%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2023-24; पीआरएस।

प्रतिबद्ध व्यय: राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। बजट के एक बड़े हिस्से को प्रतिबद्ध व्यय की मदों के लिए आबंटित करने से पूंजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं पर फैसला लेने का राज्य का लचीलापन सीमित हो जाता है। 2023-24 में राजस्थान द्वारा प्रतिबद्ध व्यय पर 1,29,963 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 56% है। इसमें वेतन (राजस्व प्राप्तियों का 31%), पेंशन (11%), और ब्याज भुगतान (14%) पर खर्च शामिल है। 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2022-23 में वेतन पर खर्च बजट अनुमान से 2% कम रहने का अनुमान है।

तालिका 3: 2023-24 में प्रतिबद्ध व्यय (करोड़ रुपए में)

प्रतिबद्ध व्यय	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %
वेतन	57,118	66,385	65,127	-2%	71,498	10%
पेंशन	23,391	24,439	25,761	5%	26,072	1%
ब्याज भुगतान	28,100	28,838	30,733	7%	32,394	5%
कुल प्रतिबद्ध व्यय	1,08,610	1,19,662	1,21,622	2%	1,29,963	7%

स्रोत: बजट संक्षेप में और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2023-24; पीआरएस।

क्षेत्रवार व्यय: 2022-23 के दौरान राजस्थान के बजटीय व्यय का 69% हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा। अनुलग्नक 1 में प्रमुख क्षेत्रों में राजस्थान के व्यय की तुलना, अन्य राज्यों से की गई है।

तालिका 4: राजस्थान बजट 2023-24 में क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 23-24 में परिवर्तन का %	क्षेत्र
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	49,627	53,136	57,953	9%	समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,691 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।
ऊर्जा	26,750	26,699	26,371	-1%	सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सहायक कंपनियों के अनुदान के लिए 16,928 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20,111	20,119	22,064	10%	शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं (एलोपैथी) को क्रमशः 4,023 करोड़ रुपए और 3,472 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
ग्रामीण विकास	28,179	24,074	20,418	-15%	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 4,251 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
समाज कल्याण एवं पोषण	17,307	20,039	20,318	1%	जिला परिषद को सहायता अनुदान के लिए 10,669 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
शहरी विकास	8,728	11,426	14,040	23%	नगर पालिका के सहायतानुदान के लिए 4,122 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	13,596	11,695	12,864	10%	फसल बीमा योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
परिवहन	10,391	8,054	11,412	42%	सड़कों और पुलों के पूंजीगत परिव्यय के लिए 4,928 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।
जलापूर्ति एवं सैनिटेशन	10,897	6,824	9,773	43%	ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 4,829 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

सभी क्षेत्रों में कुल व्यय का %	71%	68%	69%		

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2023-24; पीआरएस।

2023-24 में प्राप्तियां

- 2023-24 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 2,33,988 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है। इसमें से 1,38,454 करोड़ रुपए (59%) राज्य द्वारा अपने संसाधनों से जुटाए जाएंगे और 95,534 करोड़ रुपए (41%) केंद्र से प्राप्त होंगे। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों (राजस्व प्राप्तियों का 26%) और अनुदान (राजस्व प्राप्तियों का 15%) में राज्य के हिस्से के रूप में होंगे।
- हस्तांतरण: 2023-24 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 61,552 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।
- 2023-24 में केंद्र से अनुदान 33,982 करोड़ रुपए अनुमानित है जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 23% कम है।
- राज्य का स्वयं कर राजस्व: राजस्थान का कुल कर राजस्व 2023-24 में 1,14,169 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 23% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2023-24 में 7.2% अनुमानित है। 2022-23 के लिए राज्य ने इस अनुपात को 7.4% पर अनुमानित किया था, हालांकि संशोधित अनुमानों के अनुसार, यह कम (6.6%) होने की उम्मीद है।

तालिका 5: राज्य सरकार की प्राप्तियों का ब्रेकअप (करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %
राज्य के स्वयं कर	74,808	98,294	92,719	-6%	1,14,169	23%
राज्य के स्वयं गैर कर	18,755	22,155	21,897	-1%	24,285	11%
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी	54,031	49,211	57,231	16%	61,552	8%
केंद्र से अनुदान	36,326	45,318	43,940	-3%	33,982	-23%
राजस्व प्राप्तियां	1,83,920	2,14,977	2,15,787	0%	2,33,988	8%
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	2,405	279	386	38%	331	-14%
शुद्ध प्राप्तियां	1,86,325	2,15,256	2,16,173	0%	2,34,319	8%

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान।

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2023-24; पीआरएस।

- 2023-24 में अनुमान है कि राज्य जीएसटी स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होगा (43% हिस्सा)। 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राज्य जीएसटी राजस्व में 36% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि 2022-23 में इस मद में प्राप्तियां बजट से 9% कम रहने की उम्मीद है।
- 2023-24 में, बिक्री कर/वैट, स्टाम्प से राजस्व 2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16% बढ़ने का अनुमान है। स्टाम्प ड्यूटी और वाहन करों में बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि का अनुमान है।

तालिका 6: राज्य के स्वयं कर राजस्व के मुख्य स्रोत (करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 वास्तविक	2022-23 बजटीय	2022-23 संशोधित	बअ 2022-23 से संअ 2022-23 में परिवर्तन का %	2023-24 बजटीय	संअ 2022-23 से बअ 2023-24 में परिवर्तन का %
राज्य जीएसटी	27,502	39,500	36,000	-9%	48,946	36%
सेल्स टैक्स/वैट	20,605	25,000	23,500	-6%	27,300	16%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	6,492	8,100	8,300	2%	9,150	10%
वाहन कर	4,759	7,000	6,700	-4%	7,700	15%
राज्य एक्साइज	11,807	15,000	14,500	-3%	17,000	17%
भू राजस्व	631	633	524	-17%	636	21%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	2,606	2,750	2,884	5%	3,126	8%
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान	3,746	6,768	5,100	-25%	2,350	-54%
जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	7,268	-	-	-	-	-
कुल जीएसटी क्षतिपूर्ति	11,015	6,768	5,100	-25%	2,350	-54%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्व बजट और बजट संक्षेप में, राजस्थान बजट 2023-24; पीआरएस।

2023-24 के लिए घाटे, ऋण और एफआरबीएम के लक्ष्य

राजस्थान के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2005 में राज्य सरकार की बकाया देनदारियों, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रगतिशील तरीके से कम करने के लक्ष्यों का प्रावधान है।

बजटेतर उधारियां

बजटेतर उधारियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं जैसे कि स्पेशल पर्पज वेहिकल्स और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उधारियां होती हैं जिनकी ऋण चुकौती बजटीय संसाधनों के माध्यम से की जाती है। इससे ऋण और घाटे के आंकड़े कम हो जाते हैं। कैग (2021) ने कहा है कि राजस्थान में 2019-20 के दौरान विभिन्न जिला परिषदों और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के जरिए बजटेतर उधारियां ली गईं। ये उधारियां 2,902 करोड़ रुपए थीं।

तालिका 7: बजटेतर उधारियां (करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि	जीएसडीपी का %
2017-18	2,373	0.28
2018-19	2,137	0.23
2019-20	2,902	0.28

राजस्व घाटा: यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे का यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जोकि भविष्य में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करेगा और न ही देनदारियों को कम करेगा। बजट में 2023-24 में 24,896 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 1.6%) के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में 32,310 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे (जीएसडीपी का 2.3%) का अनुमान लगाया गया है जो बजट अनुमान (जीएसडीपी का 1.8%) से अधिक है।

राजकोषीय घाटा: यह कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता होता है। यह अंतर सरकार द्वारा उधारियों के जरिए पूरा किया जाता है और राज्य सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि करता है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा निरपेक्ष रूप से बजट अनुमानों से अधिक है। हालांकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में यह बजट अनुमानों से संशोधित अनुमानों में जीएसडीपी में 6% की वृद्धि के कारण लगभग 0.1 प्रतिशत अंक कम है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.0% रहने का अनुमान है। 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र में कुछ सुधारों को पूरा करने पर ही उपलब्ध होगा।

बकाया देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य की कुल उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। इसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं। 2023-24 के अंत में बकाया देनदारियों का अनुमान जीएसडीपी का 36.8% है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान (जीएसडीपी का 36.6%) से 0.2% कम है। बकाया देनदारियां 2019-20 के स्तर (जीएसडीपी का 35.3%) की तुलना में बढ़ी हैं।

बकाया सरकारी गारंटियां: राज्यों की बकाया देनदारियों में कुछ अन्य देनदारियां शामिल नहीं होती हैं जो प्रकृति में आकस्मिक होती हैं और जिन्हें राज्यों को कुछ मामलों में पूरा करना पड़ सकता है। राज्य सरकारें वित्तीय संस्थानों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के उधार की गारंटी देती हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक राज्य द्वारा दी गई बकाया गारंटी 1 अप्रैल, 2022 को 95,868 करोड़ रुपए की तुलना में 1,02,810 करोड़ रुपए (जिसमें से 82,337 करोड़ रुपए राज्य डिस्कॉम को दिए गए) थी।

अनुलग्नक 1: मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना

निम्नलिखित रेखाचित्रों में छह मुख्य क्षेत्रों में अन्य राज्यों के औसत व्यय के अनुपात में राजस्थान के कुल व्यय की तुलना की गई है। क्षेत्र के लिए औसत, उस क्षेत्र में 31 राज्यों (राजस्थान सहित) द्वारा किए जाने वाले औसत व्यय (2022-23 के बजटीय अनुमानों के आधार पर) को इंगित करता है। [1]

- स्वास्थ्य: राजस्थान ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 7.4% का आबंटन किया है। अन्य राज्यों के औसत आबंटन (6.3%) से यह अधिक है।
- शिक्षा: राजस्थान ने शिक्षा के लिए बजट का 19.5% हिस्सा आबंटित किया है जोकि अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा पर किए गए औसत आबंटन (14.8%) से अधिक है।
- कृषि: राज्य ने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए अपने बजट का 4.3% हिस्सा आबंटित किया है। यह अन्य राज्यों के औसत आबंटनों (5.8%) से कम है।

- शहरी विकास: राजस्थान ने शहरी विकास के लिए 4.7% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा शहरी विकास के औसत आबंटन (3.5%) से ज्यादा है।
- पुलिस: राजस्थान ने पुलिस के लिए कुल 3.0% का आबंटन किया है जोकि सभी राज्यों के औसत व्यय (4.3%) से कम है।
- सड़क और पुल: राजस्थान ने सड़कों और पुलों के लिए 3.6% का आबंटन किया है। यह अन्य राज्यों द्वारा सड़कों और पुलों के लिए औसत आबंटन (4.5%) से कम है।

नोट: 2021-22, 2022-23 (बअ), 2022-23 (संअ), और 2023-24 (बअ) के आंकड़े राजस्थान के हैं।
स्रोत: वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, राजस्थान बजट 2023-24; विभिन्न राज्य बजट; पीआरएस।
[1] 31 राज्यों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुद्दूचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
अनुलग्नक 2: 2021-22 के बजटीय अनुमानों और वास्तविक के बीच तुलना
यहां तालिकाओं में 2021-22 के वास्तविक के साथ उस वर्ष के बजटीय अनुमानों के बीच तुलना की गई है।

तालिका 8: प्राप्तियों और व्यय की झलक (करोड़ रुपए में)

मद	2021-22 बअ	2021-22 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
शुद्ध प्राप्तियां (1+2)	1,85,005	1,86,325	1%
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	1,84,330	1,83,920	0%
क. स्वयं कर राजस्व	90,050	74,808	-17%
ख. स्वयं गैर कर राजस्व	17,698	18,755	6%
ग. केंद्रीय करों में हिस्सा	40,107	54,031	35%
घ. केंद्र से सहायतानुदान	36,475	36,326	0%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	3,746	-
2. गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	675	2,405	256%
3. उधारियां	61,904	1,01,363	64%
इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण	2,600	7,268	180%
शुद्ध व्यय (4+5+6)	2,32,658	2,34,563	1%
4. राजस्व व्यय	2,08,080	2,09,790	1%
5. पूंजीगत परिव्यय	24,216	24,152	0%
6. ऋण और अग्रिम	362	621	72%
7. ऋण पुनर्भुगतान	17,589	56,128	219%

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 1, January 2024 |

मद	2021-22 बअ	2021-22 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
राजस्व घाटा	23,750	25,870	9%
राजस्व घाटा (जीएसडीपी का %)*	2.0%	2.1%	-
-राजकोषीय घाटा	47,653	48,238	2%
राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का %)	3.98%	3.96%	-

नोट: बअ: बजट अनुमान। घाटे की गणना में जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋण को अनुदान के रूप में नहीं गिना जाता। स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

तालिका 9: राज्य के स्वयं कर राजस्व के घटक (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2021-22 बअ	2021-22 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
राज्य जीएसटी	37,663	27,502	-27%
सेल्स टैक्स/वैट	22,800	20,605	-10%
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	6,100	6,492	6%
वाहन कर	6,500	4,759	-27%
राज्य एक्साइज	13,250	11,807	-11%
भू राजस्व	525	631	20%
बिजली पर टैक्स और ड्यूटी	2,900	2,606	-10%

स्रोत: विभिन्न वर्षों के राजस्थान बजट डॉक्यूमेंट्स; पीआरएस।

तालिका 10: मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन (करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2021-22 बअ	2021-22 वास्तविक	बअ से वास्तविक में परिवर्तन का %
पुलिस	7,384	7,295	-1%

शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	44,309	41,020	-7%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16,269	16,312	0%
जलापूर्ति और सैनिटेशन	10,024	8,990	-10%
आवासन	167	116	-31%
शहरी विकास	8,674	9,539	10%
एसी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,190	1,973	-10%
समाज कल्याण एवं पोषण	15,562	16,500	6%
कृषि और संबंधित गतिविधियां	11,809	12,642	7%
ग्रामीण विकास	15,920	17,465	10%
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,184	5,736	-7%
ऊर्जा	19,449	24,789	27%
परिवहन	8,232	8,584	4%
इनमें सड़क एवं पुल	7,787	7,153	-8%

IV. निष्कर्ष

प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

संदर्भ

1. मोसली, मैल्कम जे. (2003). ग्रामीण विकास: सिद्धांत और अभ्यास (1. प्रकाशन संस्करण)। लंदन [ua]: SAGE. पृष्ठ 5 . 978-0-7619-4766-0.
2. ^ वार्ड, नील; ब्राउन, डेविड एल. (1 दिसंबर 2009) "क्षेत्रीय विकास में ग्रामीण को शामिल करना" । क्षेत्रीय अध्ययन । 43 (10): 1237–1244। बिबकोड : 2009RegSt..43.1237W । डोई : 10.1080/00343400903234696 ।
3. ↑ रोली, थॉमस डी., एड. (1996). ग्रामीण विकास अनुसंधान: नीति के लिए एक आधार (1. प्रकाशन संस्करण)। वेस्टपोर्ट, कनेक्टिकट [ua]: ग्रीनवुड प्रेस. :(क) 978-0-313-29726-7.
4. ↑ मोसली, मैल्कम जे. (2003). ग्रामीण विकास: सिद्धांत और अभ्यास (1. प्रकाशन संस्करण)। लंदन [ua]: SAGE. पृष्ठ 7 . 978-0-7619-4766-0.

5. ↑ वान अस्से, क्रिस्टोफ़. & हॉर्निज, अन्ना-कैथरीना। (2015) ग्रामीण विकास। शासन में ज्ञान और स्वामी । वेगेनिंगन एकेडमिक पब्लिशर्स , वेगेनिंगन
6. ^ बीस्ती, ए. डी., ई. सडौलेट, और आर. मुर्गाई। 2002. "ग्रामीण विकास और ग्रामीण नीति" । बी. गार्डनर जी. राउसर (संपादक), हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चरल इवैंट्स, खंड 2, ए, एम्स्टर्डम: नॉर्थहॉलैंड: 1593-658।
7. ^ कंबुर, रवि ; वेनेबेल्स, एंथनी जे. (2005). स्थानीय असमानता और विकास . ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. :(क) 9780199278633. पीडीएफ संस्करण.
8. ^ ए बी जज़ैरी, इदरीश; आलमगीर, मोहिउद्दीन; पनुसियो, थेरेसा (1992)। विश्व ग्रामीण गरीबी की स्थिति: इसके कारणों और परिणामों की जांच। न्यूयॉर्क: यूनिवर्सिटी प्रेस। :(क) 9789290720034.
9. ^ हुआंग, फ्रेंकी (2018-12-31)। "चीन के साइकिलिंग साम्राज्यों का उदय और पतन" । विदेश नीति । 2023-10-26 को पुनर्प्राप्त .
10. ↑ ओत्सुका, केइजीरो. 2009. एशिया और अफ्रीका में ग्रामीण गरीबी और आय की प्रेरक शक्ति। न्यूयॉर्क: रूटलेज.
11. ^ "ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्यान्न योजनाओं में परिवर्तन" . www.ifad.org . 2023-01-23 को पुनर्प्राप्त .
12. ^ ए बी बार्बियर, एडवर्ड बी.; होचर्ड, जैकब पी. (जून 2018)। "गरीबी, ग्रामीण जनसंख्या वितरण और जलवायु परिवर्तन" । पर्यावरण और विकास अर्थशास्त्र । 23 (3): 234–256. doi : 10.1017/S1355770X17000353 । ISSN 1355-770X । S2CID 158642860 ।
13. ^ ए बी हैलगेट, स्टीफन; फ़े, मैरिएन; बारबियर, एडवर्ड बी. (जून 2018) "गरीबी और जलवायु परिवर्तन: परिचय" । पर्यावरण और विकास अर्थशास्त्र । 23 (3): 217–233. डोई : 10.1017/S1355770X18000141 . आईएसएसएन 1355-770X . एस2सीआईडी 158756317 .
14. ^ "एसडीजी 2. शून्य भूख | सतत विकास लक्ष्य | संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन" । www.fao.org । 2021-10-10 को लिया गया ।
15. ^ "एसडीजी 1. गरीबी नहीं | सतत विकास लक्ष्य | संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन" । www.fao.org । 2021-10-10 को लिया गया ।
16. ^ चिग्बू, उचेंदु यूजीन (2012)। "ग्रामीण विकास के साधन के रूप में ग्राम निर्माण: जर्मनी से साक्ष्य". सामुदायिक विकास . 43 (2): 209–224. डोई : 10.1080/15575330.2011.575231 . एस2सीआईडी 154040610 .
17. ↑ विश्व बैंक. (1975) ग्रामीण विकास. क्षेत्र नीति पत्र. वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक। http://documents.worldbank.org/curated/en/522641468766236215/ग्रामीण-विकास
18. ↑ ए बी कोहेन, जॉन एम.; अपहोफ़, नॉर्मन टी. (1980-03-01) "ग्रामीण विकास में भागीदारी का स्थान: विशिष्ट के माध्यम से उन्नति की तलाश". विश्व विकास . 8 (3): 213–235. डोई : 10.1016/0305-750X(80)90011-एक्स . आईएसएसएन 0305-750X .
19. ^ ए बी सी कॉज्या, जॉन-मैरी (2007)। "अफ्रीका में राजनीतिक विकेंद्रीकरण: युगांडा, रवांडा और दक्षिण अफ्रीका के अनुभव"। विकेंद्रीकृत शासन: उभरती अवधारणाएँ और अभ्यास : 75–91. एस2सीआईडी 14217979 .
20. ↑ पेलिसरी, सोनी (2012). "ग्रामीण विकास". स्थिरता का विश्वकोश . 7 : 222–225.

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor:
7.580

doi crossref

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com